

प्रश्न सं. [ क. 4522 ]  
कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ  
EOW भवन, 42, अरेरा हिल्स, भोपाल

क/प्रकोष्ठ/इओभो/वि.स.अता.प्र.क.-4522/622/21 भोपाल, दिनांक 4/03/2021  
प्रति,

श्री शिरीष मिश्रा,  
मुख्य अभियंता (प्रौ.)  
जल संसाधन विभाग, भोपाल


विषय :- विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-4522 द्वारा माननीय श्री कुणाल चौधरी  
विधान सभा सदस्य।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/271/ई-टेंडरिंग/2020-21/6918 भोपाल दिनांक 02  
03.2021

-----000-----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम  
से विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक- 4522 द्वारा श्री कुलाण चौधरी, माननीय विधायक  
की छायाप्रति संलग्न कर संबंधित जानकारी प्रकोष्ठ इकाई भोपाल से चाही गई है।

उपरोक्तानुसार चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में लेख है कि थाना  
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में ई-टेंडर से संबंधित (01 प्रकरण) अपराध क्रमांक 12/2019  
अंतर्गत धारा 420, 468, 471, 120वीं भारतीय दण्ड विधान, धारा 7 सहपठित धारा 13(2)  
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 66 आई.टी. एक्ट 2000 अंतर्गत पंजीबद्ध  
किया गया है। उक्त प्रकरण धारा 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विवेचनाधीन है।

प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन होने से संबंधित जानकारी दिया जाना  
विधि-सम्मत न होने के कारण प्रदाय किया जाना संभव नहीं है।

  
(राजेश कुमार मिश्र)  
पुलिस अधीक्षक,  
ईओडब्ल्यू इकाई, भोपाल